

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा नवंबर, २०१७ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर इस विभाग ने प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता देने के संबंध में दिनांक 24 नवंबर, 2017 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/11/2017-स्था। (वेतन-II) जारी किया गया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है।
2. भा. प्र. से. की (आंध्र प्रदेश एवं त्रिपुरा) संवर्ग समीक्षा नवंबर में अधिसूचित की गई। .
3. आईएफएस)हरि याणा(की संवर्ग समीक्षा नवम्बर, 2017 में अधि सूचि त की गई।
4. नवंबर, 2017 के दौरान लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक पद के लिए एक (1) उम्मीदवार और निदेशक पद के लिए आठ (8) उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। लोक उद्यम चयन बोर्ड, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नवंबर, 2017 के दौरान अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक पद के लिए चार (4) एवं निदेशक पद के लिए ग्यारह (11) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है।
5. मंत्रिमंडल सचिव / एसीसी ने समयपूर्व प्रत्यावर्तन के तीन (03) प्रस्तावों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति के पांच (5) प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) हेतु नियुक्ति के एक (1) प्रस्ताव समय विस्तार हेतु दो (2) प्रस्तावों, (गैर सीएसएस) नियुक्ति के छह (06) प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पंद्रह (15) अधिकारियों को प्रस्ताव देकर केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत बनाए रखा गया है।